



Haryana Industrial Training Directorate

Headquarters: 30 Bays Building, Sector-17, Chandigarh
Phone No.: 0172-2563005, E-mail: aaa.itiharyana@gmail.com

सेवा में

प्रधानाचार्य/सहायक शिक्षुता सलाहकार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, भोड़ियां खेडा, गुडगाव, हिसार, झज्जर एट गुडा, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, तथा यमुनानगर।

यादि क0:- टी/एपीपी /SCVT/04/2017/594

दिनांक: 3.4.2017

विषय:- फ़ैशर शिक्षुओं को लगाने से सम्बन्धित हिदायतें जारी करने बारे।

उक्त विषय के संदर्भ में।

उक्त बारे आपको सूचित किया जाता है कि नैशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम/अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत शिक्षुता के लिए उपलब्ध कुल सीटों के प्रति अधिकतम 20% फ़ैशर शिक्षु लगाये जा सकते हैं।

आपको निर्देश दिए जाते हैं कि निदेशालय के पत्र दिनांक 10.01.2017 के द्वारा आप प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते समय जिला शिक्षुता कमेटी गठन के दिनांक 02.02.2017 के आदेश में क0 6 पर वर्णित फ़ैशर शिक्षु सम्बन्धित हिदायतों की पालना दृढता से करना भी सुनिश्चित करें।

संजीव शर्मा
30/03/2017
उप-शिक्षुता सलाहकार

कृते: राज्य शिक्षुता सलाहकार,
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

CC:

Nodal officer website.